उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14–अशोक मार्ग शक्ति भवन (वि०), लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com Website- www.uppst.org

पत्र सं० /68/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ट्रांस० शिड्यूल/ दिनांकः–

'ई–मेल' उपमहाप्रबन्धक (लेखा)
पारेषण उत्तर पूर्व/दक्षिण पूर्व/
मध्य/पश्चिम/दक्षिण मध्य/दक्षिण पश्चिम
गोरखपुर/प्रयागराज/लखनऊ/मेरठ/झाँसी/आगरा

उपमहाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
लखनऊ।

लेखाधिकारी
(मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ
शक्ति भवन, लखनऊ

परिपत्र

प्रायः परिक्षेत्र से प्राप्त होने वाली विभिन्न इकाइयों की अंशदायी भविष्य निधि की समेकित अनुसूची में अनेकों कमियाँ परिलक्षित होती है जिनके समाधान हेतु ट्रस्ट कार्यालय द्वारा विभिन्न पत्र निर्गत किए जाते हैं। उक्त प्रक्रिया में कार्यालय का श्रम एवं समय अनायास ही व्यर्थ होता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत् अंशदायी भविष्य निधि की समेकित अनुसूची को सचिव, ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाना उचित होगा–

1. पूरे वर्ष की समेकित सी०पी०एफ० अनुसूची हेतु ट्रस्ट कार्यालय द्वारा प्रारूप निर्धारित किया गया है जिसे FORMAT 'A' के नाम से नामित किया गया हैं। सभी परिक्षेत्र, इसी प्रारूप में अपनी अधीनस्थ इकाइयों द्वारा समेकित अनुसूची तैयार कराते हुए प्रेषित करें। इस हेतु पूर्व में पत्र सं० 670/सी०पी०एफ०ट्रस्ट/लेखापर्ची दिनांक 07.08.2018 निर्गत है **(ट्रस्ट की वेबसाइट www.uppst.org पर उपलब्ध)**। उक्त समेकित अनुसूची की एक प्रति ट्रस्ट कार्यालय को उपरोक्त ई–मेल पर भी प्रेषित की जायें।
2. अनुसूची में कार्मिकों के नाम, उनके सी०पी०एफ० खाता सं० के अनुसार आरोही क्रम (Ascending Order) में अंकित किए जाएं एवं कार्मिकों का सी०पी०एफ० खाता सं० सही अंकित हो। अनुसूची का प्रिंट स्पष्ट (Clear and Readable) हो।
3. किसी कार्मिक के स्थानान्तरण की स्थिति में पूर्व इकाई/स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती इकाई का नाम अंकित हो।
4. किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/सेवा काल में मृत्यु की दशा में दिनांक अंकित हो। तत्पश्चात् किसी भी धनराशि का लेखांकन कार्मिक के खाते में ना किया जाए।
5. अनुसूची में सम्बन्धित माह की वास्तविक लेखाबुकिंग अंकित हो एवं अनुसूची के योग एवं लेखाबुकिंग में अन्तर होने की दशा में अन्तर की धनराशि कारण/निवारण/समाधान सहित अंकित की जाएं।
6. लेखाशीर्ष 44.620(कर्मचारी अंशदान), 44.621(नियोक्ता अंशदान) एवं 44.520(आहरण) की धनराशियों के पारस्परिक मिलान/समाधान में अन्तर होने पर समायोजन से सम्बन्धित Adjustment Authority संलग्न हो। समायोजन प्राधिकार पत्र (Adjustment Authority) में समायोजन माह, समायोजन का कारण स्पष्ट रूप से विवरण सहित अंकित हो। साथ ही प्राधिकार पत्र, लेखाकार एवं आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित हो।
7. अनुग्रह धनराशि पर नियोक्ता अंशदान का प्राविधान ना किया जाए।
8. अवशेष की धनराशि पर नियोक्ता अंशदान का प्राविधान नियमानुसार (वेतन+महंगाई भत्ते का 10%) हो।
9. अनुसूचियाँ प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सभी कार्मिकों कें सी०पी०एफ० खाता सं० आवंटित हो गये हैं। अन्यथा कि स्थिति में सी०पी०एफ० खाता सं० आवंटन हेतु आवेदन पत्र अविलम्ब ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अनुक्रम में आपसे अनुरोध है कि उक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सभी इकाइयों की सी०पी०एफ० अनुसूचियों एवं समायोजन प्राधिकार पत्रों (Adjustment Authority) को सत्यापित करते हुए लेखाशीर्ष 44.620(कर्मचारी अंशदान), 44.621(नियोक्ता अंशदान) एवं 44.520(आहरण) की मासिक लेखाबुकिंग (MTB) सहित ट्रस्ट कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अविनाश चन्द्र पाण्डेय)
सचिव

पत्र सं० 537 /68/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ट्रांस० शिड्यूल/तद्दिनांकः– 29/07/2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक(वित्त), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. उपसचिव, उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रस्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अविनाश चन्द्र पाण्डेय)
सचिव